International Journal of Multidisciplinary Research and Development
Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 2349-5979, Impact Factor: RJIF 5.72
www.allsubjectjournal.com
Volume 3; Issue 7; July 2016; Page No. 260-262

कृषि विकास और ग्रामीण निर्धनता

डॉ. अर्चना यादव

अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र) शास. महाविद्यालय, तेन्दूखेड़ा दमोह (म.प्र.)

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि विकास का सदैव महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कृषि क्षेत्र का समुचित विकास आर्थिक नियोजन के निर्माताओं तथा केन्द्र सरकार की आर्थिक विकास की नीति के निर्धारण में सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है। वास्तव में कृषि हमारे देश में केवल जीविकोपार्जन का साधन या उद्योग धन्धा ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, देश के उद्योग धन्धे, विदेशी व्यापार, विदेशी मुद्रा अर्जन, विभिन्न योजनाओं की सफलता एवं राजनीतिक स्थायित्व भी कृषि पर ही निर्भर है। एक बार स्व. श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि ''कृषि को सर्वाधिक प्राथमिक देने की आवश्यकता है, यदि कृषि असफल रहती है तो सरकार एवं राष्ट्र दोनों ही असफल रहते हैं।''[1]

कृषि विकास के महत्व के विषय में प्रो. कोल एवं हूबर ने कहा है कि ''संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि का विकास पहले होना चाहिए और यदि किसी क्षेत्र के अविकिसत होने से दूसरे क्षेत्र के विकास में बाधा पड़ती है तो अविकसित क्षेत्र कृषि ही होगा, जो अन्य क्षेत्रों के विकास को बाधित करेगा।''[2] प्रसिद्ध नोबल पुरस्कार आधुनिक अर्थशास्त्री प्रो. गुन्नार मिर्डल के अनुसार, ''भारत की दीर्घकालीन आर्थिक विकास की लड़ाई कृषि क्षेत्र में जीती या हारी जायेगी।'' प्रो. शुल्टज के अनुसार, ''कोई भी अल्पविकसित राष्ट्र खाद्यान्नों में आत्म–निर्भरता प्राप्त किए बिना आर्थिक विकास की कल्पना नहीं कर सकता।''[3] प्रो. फिशर के शब्दों में, ''आर्थिक विकास की किसी भी योजना में कृषि को प्रथम स्थान मिलना चाहिए।'' प्रो. आर्थर लुइस के अनुसार, ''कृषि की प्रगति, औद्योगिक प्रगति के लिए एक अनिवार्य शर्त है।'' भारत में पिछले 50 वर्षों में चावल, गेंहू सहित खाद्यान्न की अधिकांश फसलों के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त तिलहन मूंगफली, गन्ना, कपास जैसे व्यापारिक फसलों के उत्पादन में भी तीव्र दृष्टिगोचर होती है।

भारत में निर्धनता का अर्थ

प्रायः निर्धनता के दो अर्थ लगाये जाते हैं,

पहला निरपेक्ष निर्धनता– एक व्यक्ति की निरपेक्ष निर्धनता से अर्थ उसकी आय या उपभोग व्यय इतना कम है कि वह सदैव न्यूनतम भरण–पोषण के स्तर पर बना रहता है। संक्षेप में इसका अर्थ है, कि व्यक्ति भोजन, वस्त्र, निवास एवं न्यूनतम स्वास्थ्य सहायता की पूर्ति जुटाने में भी अपने को असमर्थ पाता है। यदि वह न्यूनतम वस्तु या सेवायें किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है तो यह नहीं कहा जावेगा कि वह निर्धनता के निम्न सीमा के नीचे जीवन यापन करने के लिए बाध्य हैं।

दूसरा सापेक्ष निर्धनता से अर्थ – आय की असमानताओं से होता है, यह अन्तर दो व्यक्तियों, दो परिवारों और दो देशों के बीच प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके इस सापेक्ष अन्तर को समझा जा सकता है। इस प्रकार से निर्धनता की परिभाषा विभिन्न समाजों व देश में भिन्न–भिन्न प्रकार से दी गई है। उदाहरण के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्धनता की धारणा, भारत में निर्धनता से बिल्कुल अलग होगी। क्योंकि अमेरिका में साधारण कम आय वाले व्यक्ति का जीवन स्तर भी भारत के एक मध्यमवर्गीय परिवार से कहीं ऊंचा रहता है।

भारत में अनेक अर्थशास्त्रियों एवं संस्थाओं ने निर्धनता के निर्धारण के लिए अपने–अपने प्रमाप बनाए हैं। इन सभी अध्ययनों का आधार 2250 कैलोरी के बराबर खाद्य का मूल्य है, योजना आयोग द्वारा गणित विशेषज्ञ दल 'टॉक्स फोर्स ऑन मिनिमम नीड्स एण्ड इलेक्टिव जमसन डिमान्ड' की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से भी जिन्हें प्राप्त नहीं हो पाता, उसे गरीबी रेखा से नीचे माना गया है।

निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की पहचान का मुद्दा पिछले कुछ समय से विवादास्पद बना हुआ है। योजना आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के सर्वेक्षणों के आधार पर ही निर्धनों की संख्या (निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या) का आंकलन करता रहा है। प्रो. डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में गणित विशेषज्ञ दल ने योजना आयोग के इन आँकड़ों को अविश्वसनीय बताते हुए निर्धनों की पहचान के लिए वैकल्पिक फॉमूले का उपभोग किया जिसके तहत् प्रत्येक राज्य में मूल्य स्तर के आधार पर अलग–अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया।

लकड़ावाला फार्मूले में शहरी निर्धनता के आंकलन हेतु औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक व ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य हेतु यदि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया है।

कृषि क्षेत्र में निर्धनता

प्रो. रेगर्नर नर्कसे प्रथम अर्थशास्त्री माने जाते हैं, जिहोंने कृषि क्षेत्र में निर्धनता के कुचक्र का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया है। प्रो. नर्कसे के अनुसार निर्धनता के कुचक्र से अर्थ ''नक्षत्र माडल के समान शक्तियों का इस प्रकार घुमना है कि वह परस्पर क्रिया और

प्रक्रिया करती हुई, निर्धनता देश को निर्धनता की अवस्था में बनाये रखती है।[6] प्रो. नर्कसे का सम्पूर्ण शोध एवं अध्ययन का क्षेत्र प्रमुख रूप से भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। रेगर्नर नर्कसे ने आर्थिक निर्धनता के कुचक्र को मांग एवं पूर्ति पक्ष की दृष्टि से निम्न प्रकार से समझाया है।

(1) पूंजी की माँग पक्ष – जनता की निम्न आय होने के कारण उसकी क्रय शक्ति में कमी फलस्वरूप विनियोग की प्रेरणा में कमी, विनियोग की कमी से निम्न उत्पादकता, न्यून रोजगार व निम्न आय का स्तर बना रहता है।

(2) पूंजी का पूर्ति पक्ष – यहां निम्न आय से बचत करने की क्षमता में कमी हो जाती है जिससे पूंजी का निर्माण कम और इसके फलस्वरूप उत्पादकता कम हो जाती है।

भारत में ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक निर्धनता उन राज्यों में है। जहाँ कृषि क्षेत्र के विकास की स्थिति दयनीय है, इसके विपरीत जिन राज्यों में कृषि विकास का आधुनिक और विकसित स्वरूप है, वहां निर्धन लोगों की जनसंख्या सबसे कम है। जैसा कि 2011–2012 में भारत सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका क्र.1: चुनिंदा राज्यों में निर्धनता रेखा के नीचे जनसंख्या (प्रतिशत)

क्र.	राज्य	प्रतिशत
1	उड़ीसा	46.4
2	बिहार	41.4
3	छत्तीसगढ़	40.9
4	झारखण्ड	40.3
5	उत्तरप्रदेश	32.8
6	असम	19.7
7	केरल	15.0
8	दिल्ली	14.7
9	हरियाणा	14.0
10	गोआ	13.8
11	मिजोरम	12.6
12	हिमाचल प्रदेश	10.0
13	पंजाब	8.4
14	अखिल भारत	27.5

स्रोत– भारत सरकार का बजट पूर्ण आर्थिक सर्वेक्षण, 2011–12।

तालिका क्र.1 के सूक्ष्म अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों में जहां कृषि व्यवसाय से जुड़े हुये लोग सर्वाधिक है और जहां कृषि अर्थशास्त्र आज भी व्यापक रूप से पिछड़ा हुआ है, वहाँ निर्धनता की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। इसके विपरीत पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में जहां कृषि क्षेत्र पूर्ण रूप से विकसित और आधुनिक स्वरूप लिये हुये हैं ऐसे राज्यों में निर्धनता का अनुपात 10 प्रतिशत से भी कम दिखाई देता है।

अभी हाल ही के वर्षों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता ने आंकलन का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के हवाले से योजना द्वारा जारी इन आँकड़ों में निर्धनता के आंकलन के लिए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 356.30 रूपये प्रतिमाह शहरी क्षेत्रों के लिए 538.60 रूपये यह निर्धारित किया गया है, इसका तात्पर्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 356.30 रूपये प्रतिमाह (11.87 रूपये प्रतिदिन) से कम व शहरी क्षेत्रों में 538.60 रूपये प्रतिमाह (17.95 रूपये प्रतिदिन) से कम उपभोग व्यय करने वाला निर्धनता रेखा से नीचे माना गया है। अलग–अलग राज्यों के लिए यह खुशियाँ अलग–अलग हैं जो कि निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है।

तालिका क्र.2: निर्धनता रेखा के आँकलन हेतु प्रतिमाह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय

राज्य	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
झारखण्ड	366.56	415.24
बिहार	354.36	435.00
असम	387.64	378.87
छत्तीसगढ़	322.41	560.00
आन्ध्रप्रदेश	292.95	542.89
दिल्ली	410.38	612.91
गोआ	362.25	665.90
गुजरात	353.93	541.16
हरियाणा	414.76	504.49
जम्मू कश्मीर	291.26	553.77
कर्नाटक	324.17	599.66
केरल	430.12	559.66
मध्यप्रदेश	327.78	570.15
महाराष्ट्र	362.25	665.96
उड़ीसा	325.79	528.49
पंजाब	410.38	466.16
राजस्थान	374.57	559.63
तमिलनाडू	351.86	547.42
उत्तरप्रदेश	365.84	483.26
उत्तराखण्ड	478.02	637.67
पश्चिम बंगाल	382.82	449.32
दादर–नगर हवेली	362.25	665.90
सम्पूर्ण भारत	356.30	538.60

स्रोत– नेशनल सेम्पल सर्वे संगठन, 2011–12 का प्रतिवेदन।

निर्धनता के इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि आर्थिक सुधारों के बाद के साल में देश में निर्धनों की संख्या में अपेक्षाकृत तेज गति में कमी आई है। एक महत्वपूर्ण तथ्य और जो इन आंकड़ों से सामने आया है। वह यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की संख्या में जहां कमी दर्ज की गई, वहीं शहरी क्षेत्रों में निर्धनों की संख्या बढ़ी है।

कृषि विकास बनाम निर्धनता उन्नमूलन

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भारत में कृषि क्षेत्र के विकास की विस्तृत योजनायें और कार्यक्रम पिछले 50 वर्षो में प्रायः सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सदैव लागू की गयी लेकिन कृषि क्षेत्र में न अभी तक आंशिक विकास हुआ है और सीमित विकास होने से ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक निर्धनता आज भी बनी हुई है।

अतः ग्रामीण निर्धनता को कम करने के लिए कृषि क्षेत्र के विकास को इस प्रकार प्रभावपूर्ण बनाना होगा, ताकि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को निष्ठापूर्वक लागू किया जा सके। वस्तुतः ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने के लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं हो सकती है। फिर भी भारत सरकार की योजना आयोग के निर्माताओं और विशेषज्ञों को यह प्रयास करना चाहिए, कि आगामी 20 वर्षो में भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निर्धनता की निम्न सीमा के नीचे निवास करने वाली जनसंख्या का अनुपात 10 प्रतिशत से कम हो जाये। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नांकित सुझाव निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगे।

1. राज्यवार उन गांवों और कृषि के क्षेत्रों का सूक्ष्म पहचान करना जहां सर्वाधिक निर्धन लोग निवास करते हों।

2. प्रत्येक राज्य में जिलेवार एवं तहसीलवार उन गांव की विशिष्ट पहचान करना, जहां निर्धनता की निम्न सीमा के नीचे निवास करने वाले अधिकतम जनसंख्या निवास करती हो।
3. ग्रामीण विकास की सभी योजनायें रोजगार परक हो, ताकि नीचे स्तर से निर्धन लोगों को प्रत्येक वर्ष में 150 दिनों तक रोजगार का अवसर प्राप्त हो।
4. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक विकास को सर्वोपरि महत्व देना होगा, जिसके तहत् विकास कार्यक्रमों में गांवों में सड़क, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, पेयजल आदि की सभी सुविधायें न्यूनतम स्तर पर निर्धन लोगों को उपलब्ध हो सकें।
5. भूमिहीन श्रमिकों एवं सीमांत कृषकों के हितार्थ विशिष्ट ग्रामीण योजनायें और कार्यक्रम बनाने होंगे।
6. कृषि विकास में वृद्धि उत्पादन बढ़ाने हेतु आधारभूत सविधायें जैसे सिंचाई के लिए कुओं, नलकूप, तालाब, नहरें, बड़े बांध आदि तथा जल संग्रहण के अन्य सभी उपायों को सुनिश्चित करना होगा क्योंकि ये कहावत निर्विवाद रूप से सत्य है कि ''जल ही ग्रामीण समृद्धि लाने का मुख्य स्त्रोत होता है।''
7. भूमि सुधार की उन सभी योजनाओं को इस प्रकार लागू किया जाये, कि गांव का अन्तिम रूप से सबसे निर्धन कृषक इससे लाभान्वित हो सके।
8. संस्थागत वित्त की यथोचित उपलब्धता नितांत आवश्यक है और इसका लाभ बड़े कृषकों की अपेक्षा मध्यम और निर्धन कृषकों को सर्वाधित मिलना चाहिए।
9. कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत बीज, रासायनिक खाद एवं कम्पोज खाद, कीटनाशक दवाईयाँ एवं कृषिगत नवीन एवं वैज्ञानिक उपकरण कम कीमत पर उदारता से उपलब्ध हो सकें।
10. प्रत्येक निर्धन परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 200 दिन तक रोजगार का अवसर मिलना उचित होगा।
11. ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रमों और योजनाओं में कृषि उद्योग एवं ग्रामीण कच्चे माल की उपलब्धता पर आधारित परम्परागत उद्योग तथा स्वरोजगार की अन्य योजनाओं को सर्वाधिक महत्व देना होगा। जिसके सफल और प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना होगा।
12. निर्धनता उन्मूलन ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं के सूक्ष्म निरीक्षण और सफल निगरानी की नितांत आवश्यकता है, ताकि इन सभी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उन निर्धन लोगों को मिल सके जिनके लिए ये निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम बनाये गये हैं।

सन्दर्भ सूची

1. जथार एवं बेरी – 'इण्डियन इकॉनामी', 1966
2. कॉल और हूबर – पॉपुलेशन ग्रोथ एण्ड इकॉनामी डेव्हलपमेन्ट इन ला इनकम एन्ट्रीज।
3. डॉ. मिश्र जयप्रकाश – कृषि अर्थव्यवस्था
4. मिर्डल गुन्नार – एशियन ड्रामा
5. लुईस आर्थर – थ्योरी टॉफ इकानॉमिक ग्रोथ
6. नर्कसे रेगर्नर – प्राब्लम ऑफ केपीटल फॉरमेशन इन अंडर डेव्हलपमेट कन्ट्रीज।
7. भारत सरकार का बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण, 2007–08 एवं 2011–12
8. भारत सरकार की नवीन पंचवर्षीय योजना एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना का प्रतिवेदन।
9. नेशनल सेम्पल सर्वे सर्वेक्षण, 2011–12
10. दा एकानॉमी इन पॉलिटिकल वीकली, पत्रिका
11. दा इकानॉमिक टाइम्स, दैनिक समाचार पत्र